BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 09अक्टूबर, 2024 CRACKDOWN BULANDSHAHR **थाना अहमदगढ़**

पुलिस अभिरक्षा से फरार अपहरण की घटना कारति करने वाला 25,000/- रुपये के पुरस्कार घोषित बदमाश से थाना अमहदगढ़ पुलिस की हुई मुठभेड़, बदमाश घायलावस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 बाइक व अवैध असलहा, कारतूस बरामद।

अवगत कराना है कि आज दिनांक 09.10.2024 को थाना अमहदगढ़ पुलिस द्वारा शिकारपुर तिराहा पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिंग की जा रही थी उसी समय बाइक पर एक व्यक्ति ग्राम कनैनी की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया पुलिस टीम द्वारा टार्च की रोशनी से रूकने का इशारा किया गया तो नही रूका व मोटर साइकिल को पीछे मोड़कर तेज गति से भागने का प्रयास करने लगा तो बाइक अनियंत्रित होकर फिसल कर गिर गयी। अपने आपको पुलिस से घिरता देख बदमाश द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गयी, पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में बदमाश दाहिने पैर में गोली लगने से घायल हो गया जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार/घायल बदमाश की पहचान 1. करन उर्फ छोटू पुत्र पप्पू उर्फ राजू निवासी कुतुआपुर थाना कोतवाली नगर जनपद हरदोई, के रुप में हुई हैं। घायल बदमाश को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। बदमाश के कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस, व एक बाइक बरामद हुई है।

उल्लेखनीय है कि बदमाश शातिर किस्म का अपराधी हैं जिसके द्वारा दिनांक 28.09.2024 की शाम को थाना अमहदगढ़ क्षेत्रान्तर्गत एक किशोरी का अपहरण करने की घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना अमहदगढ़ पर मुअसं-236/24 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत हैं। दिनांक 29.09.2024 को माननीय न्यायालय में पेशी के दौराने अभियुक्त फरार हो गया था। जिसके सम्बन्ध मे थाना कोतवाली नगर पर मुअस-867/24 धारा 261/262 बीएनएस पंजीकृत है। अभियुक्त की गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1- करन उर्फ छोटू पुत्र पप्पू उर्फ राजू निवासी कुतुआपुर थाना कोतवाली नगर जनपद हरदोई।

बरामदगी-

1- 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जिंदा व 01 खोखा कारतूस

2- 01 मोटरसाइकिल ड्रीम युगा (बिना नम्बर प्लेट)

अभियुक्त करन उर्फ छोटू का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 236/24 धारा 137(2) बीएनएस थाना अहमदगढ़ जनपद बुलन्दशहर।

2- मु0अ0सं0 867/24 धारा 261/262 बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

3- मु0अ0सं0 249/24 धारा 109 बीएनएस व 3/25/27 शस्त्र अधि0 थाना अहमदगढ़ जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना अहमदगढ पर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री हेम सिंह सैना प्रभारी निरीक्षक थाना अमहदगढ़
2. उ0नि0 विजय प्रताप सिंह, उ0नि0 पवन मलिक
3. है0का0 सुनील कुमार, का0 रवेन्द्र राजपूत

मीडिया सैल बुलन्दशहर